

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 24 अप्रैल, 2020

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ) .- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 215(अ) तारीख 25 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अवधिसूचना सं. 17/2020- सीमा शुल्क, तारीख 25 मार्च, 2020 में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 84 में, स्तंभ (4) में "9.10" के स्थान पर "4.50" पढ़ें;
- (ii) क्रम संख्या 93 में, स्तंभ (4) में "2.70" के स्थान पर "1.40" पढ़ें;
- (iii) क्रम संख्या 122 में, स्तंभ (4) में "9.10" के स्थान पर "4.50" पढ़ें;
- (iv) क्रम संख्या 266, 267, 273, 274 283 में, स्तंभ (4) में "3.60" के स्थान पर "1.80" पढ़ें;
- (v) क्रम संख्या 291 में, स्तंभ (4) में "2.70" के स्थान पर "1.40" पढ़ें;
- (vi) क्रम संख्या 293 में, स्तंभ (4) में "3.60" के स्थान पर "1.80" पढ़ें;
- (vii) क्रम संख्या 334 में, स्तंभ (4) में "0.5" के स्थान पर "0.3" पढ़ें;
- (viii) क्रम संख्या 368 में, स्तंभ (4) में "2.70" के स्थान पर "1.40" पढ़ें;
- (ix) क्रम संख्या 412 में, स्तंभ (2) में "120249" के स्थान पर "720249" पढ़ें I

[ फा सं. 354/199/2009-टीआरयू (भाग-I) ]

(गौरव सिंह)

उप सचिव भारत सरकार